संख्या–481/9–आ–4–99–704 एन0/97 टी0सी0

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**
2. **समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।**
3. **उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण लखनऊ/देहरादून।**

आवास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनाँक : 30 जनवरी, 1999

विषय :नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या–2268/9–आ–4–98/704 एन/97, दिनाँक 1–12–98 में फ्री–होल्ड हेतु निहित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा में विस्तार।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नजूल भूमि को फ्री–होल्ड में परिवर्तित किये जाने हेतु सरलीकृत नीति शासनादेश संख्या –2268/9–आ–4–98–704एन/97, दिनाँक 1–12–98 के माध्यम से लागू की गयी थी तथा इस नीति के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की अंतिम अवधि दिनाँक 31–1–99 निर्धारित थी। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विशेष परिस्थितियों में उक्त नीति के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की समय सीमा को एक माह हेतु अर्थात 28 फरवरी, 1999 तक बढ़ाया जाता है। दिनाँक 28 फरवरी, 1999 को सार्वजनिक अवकाश (रविवार) होने के कारण आवेदन पत्र दिनाँक 1–3–99 तक स्वीकार किये जायेंगे।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या–481(1)/9–आ–4–तददिनाँक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
2. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–6
3. गोपन अनुभाग–1
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।